

कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर

क्रमांक/एफ-2/आयोजना/07 21669-70/15

दिनांक:- 21-12-15

जनरल मैनेजर एन.बी.सी.सी. लि०

भारत सरकार एन्टरप्राइजेज, एन.बी.सी.सी. भवन

लोधी रोड, नई दिल्ली

विषय :- सूर्य नगर आवासीय ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड की 30 मीटर से ऊपरी मंजिलों की भवन निर्माण स्वीकृति के क्रम में।

प्रसंग :- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 07.03.2014

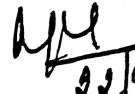
आप द्वारा दिनांक 07.03.2014 को न्यास कार्यालय में आवासीय ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड सूर्य नगर, अलवर जिसका क्षेत्रफल 6094.00 वर्गमीटर है। 30 मीटर तक ऊँचाई की भवन निर्माण स्वीकृति की बैठक दिनांक 27.12.2012 के निर्णयानुसार न्यास के पत्र क्रमांक एफ-2/आयोजना/386/2013 दिनांक 22.01.2013 को जारी की गई। 30 मीटर से अधिक ऊँचाई की भवनों की स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया गया जिस पर राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3(2031)नवि/3/2013 दिनांक 04.10.2013 को प्रदान की गई, जिसके क्रम में अधिक एफ.ए.आर. की राशि 1,54,30,354/- रुपये जर्ने रसीद संख्या 2021/25 दिनांक 03.09.2014 के द्वारा न्यास कोष में जमा कराये जा चुके हैं। प्रकरण 30 मीटर से ऊँपरी मंजिलों की स्वीकृति के क्रम में भवन निर्माण स्वीकृति की बैठक दिनांक 17.07.2014 में विचारार्थ रखा गया, जिसके निर्णयानुसार निर्माण स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

01. न्यास की भवन निर्माण स्वीकृत समिति की बैठक दिनांक 27.12.2012 के निर्णयानुसार पूर्व में जारी भवन निर्माण स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ-2/आयोजना/386/2013 दिनांक 22.01.2013 के अनुमति पत्र में वर्णित सभी शर्तों का पालन करनी होगी।
02. 30 मीटर से ऊपरी मंजिलों की भवन निर्माण स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि ऊपरी मंजिलों का निर्माण तो किया जा सकेगा, परन्तु फायर सुरक्षा सम्बन्धी पुख्ता (स्थायी) प्रमाण पत्र न्यास में प्रस्तुत करने के उपरान्त ही उनका विक्रय किया जावेगा। जिसके क्रम में आप द्वारा प्रस्तुत अण्डरटैकिंग दिनांक 05.10.2014 में वर्णित शर्तों की पालना करनी होगी।
03. प्रत्येक मंजिल की समय-समय पर ब्लाक टेस्टिंग रिपोर्ट करवानी होगी तथा प्रति न्यास को भी प्रस्तुत करनी होगी।

04. निर्माण स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार ही करना होगा।
05. नियमानुसार पर्यावरण/प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।
06. अधिवास प्रमाण पत्र से पूर्व स्ट्रेक्चर इन्जिनियर से स्ट्रेक्चर डिजायन, ब्लाक टेस्टिंग की रिपोर्ट न्यास में प्रस्तुत करनी होगी।
07. यदि अनुमति पत्र में दिये गये व नक्शों में बताये गये निर्माण कार्य के विरुद्ध कोई निर्माण किया गया तो राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेन्ट एक्ट 1959 की धारा 91(ए) के अन्तर्गत उसे हटाने की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।


13/10/14
सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, अलवर


22/9/15
अधिशायी अभियन्ता
नगर विकास न्यास, अलवर


22/9/15
सचिव
नगर विकास न्यास, अलवर

प्रतिलिपि : - अधिशायी अभियन्ता, न्यास, अलवर।

कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर

क्रमांक/एफ-2/आयोजना/ 306/2011

40

दिनांक:- 29-1-2017

भवन निर्माण, अनुमति पत्र

भारत एन.बी.सी.सी. लि०
तथे श्री एच.के.धवन
जनरल मैनेजर एन.बी.सी.सी. लि०
भारत सरकार एन्टरप्राइजेज, एन.बी.सी.सी. भवन
लोधी रोड, नई दिल्ली

विषय:- सूर्य नगर आवासीय(ग्रुप हाऊसिंग) भूखण्ड पर भवन निर्माण स्वीकृति के क्रम में।

आप द्वारा दिनांक 10.10.12 को न्यास कार्यालय में सूर्य नगर स्थित आवासीय ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल 6094 वर्गमीटर है, के भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। प्रस्तुत मानचित्रो पर भवन निर्माण स्वीकृति की बैठक दिनांक 27.12.12 के निर्णयानुसार भवन निर्माण स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुसार प्रदान की जाती है :-

01. पिलिन्थ लेवल तक निर्माण होने की सूचना वास्तुविद द्वारा दी जावेगी तथा जी+1 का निर्माण स्वीकृति के अनुसार सत्यापन होने के पश्चात् अन्य मंजिलो हेतु स्वीकृति प्रदान का आकलन किया जायेगा।
02. प्रस्तुत मानचित्र 30 मीटर से अधिक की ऊँचाई के प्रस्तुत किये गये हैं। प्रथम चरण में आपको 30 मीटर ऊँचाई तक के मानचित्र स्वीकृत किये जाते हैं। शेष ऊँचाई के मानचित्र पर राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी।
03. स्वीकृत मानचित्रो के अनुसार ही निर्माण करना होगा।
04. राज्य सरकार व न्यास द्वारा समय-समय पर प्रस्तावित नियमों का पालना करना होगा।
05. मानचित्रो में दर्शाये अनुसार पार्किंग का प्रावधान करना होगा।
06. फायर फाइटिंग का प्रावधान भारतीय मानक मापदण्ड नियमानुसार करेंगे।

(Signature)

वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण करना होगा।

भवन अनुज्ञा शुल्क व अन्य कोई शुल्क देय हो तो जमा करना होगा।

भवन निर्माण पूर्ण होने पर नियमानुसार अधिवारा प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
नियमानुसार आवासीय प्लेट्स के भूखण्डों पर 15 प्रतिशत भूमि पर लेण्ड स्केपिंग करनी होगी।

शपथ पत्र दिनांक 25.10.2012 के अनुसार ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. मकानों का निर्माण करना होगा।

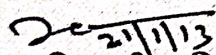
भवन विनियम 2011 की सभी शर्तें मान्य होगी।

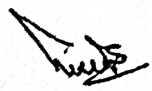
यह स्वीकृति जारी होने की तिथी से पाँच वर्ष तक मान्य होगी।

यदि अनुमति पत्र में दिये गये व नक्शों में बताये गये निर्माण कार्य के विरुद्ध कोई निर्माण किया गया तो राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेन्ट एक्ट 1959 की धारा 91(ए) के अन्तर्गत उसे हटाने व अन्य विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी। इस निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का सबूत नहीं माना जावेगा।

नोट:—आपको यह चाहिए कि अपनी जमीन की मिल्कियत व अन्य हकों को ठीक प्रकार से समझ ले।
अगर इस अनुमति से किसी भी तरह से न्यास के हकों का अतिक्रमण होता है तो यह अनुमति उस हद तक रद्द समझी जावेगी।


ज़िला नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, अलवर


अधिशायी अभियन्ता
नगर विकास न्यास, अलवर


निदेशक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना एवं
सचिव नगर विकास न्यास, अलवर